राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 10(3)कार्मिक/क–2/75 पार्ट II जयपुर, दिनांकः– 23-9-2011

परिपत्रादेश

सभी प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती की प्रकिया प्रारम्भ करने से पूर्व अथवा नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रकिया के संबंध में जारी समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 28.8.2000 के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति देने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक किया गया था।

इस बिन्दु पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा जिन पदों को सीधी भर्ती से भरनें हेतु अनुमति प्रदान करदी गई हो, ऐसे प्रकरणों में चयनोपरान्त नियुक्ति से पूर्व पुनः कार्मिक एवं वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 29.12.10 द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.4.2010 के पश्चात रिक्त हुए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके साथ ही भर्ती किये जाने वाले पदों की पूर्ण सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों द्वारा इस विभाग को प्रेषित की जायेगी।

क.सं.	पद का नाम	रिक्ति का प्रकार	रिक्ति का वर्ष	नियुक्त अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार संख्या
1	2	3	4	5

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

शासन उप सचिव

----2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी—
1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायाल, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर

शासन उप सचिव